

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव राज्य क्रम सं० FP/UP/RAIL/44309/2020

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राज्य
(ii)	जिला	गाजीपुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	61.1824 हे०
(v)	वन का कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाय	1442 वृक्ष विवरण संलग्न है।
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.1
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ वन भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास/झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ / रफिटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/ तो तत्संबंधित व्योरा दें	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है तो तत्संबंधी व्योरा संक्षेप प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्प के व्योरा के साथ मदवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ /नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित का व्योरा दें। क्या उल्लंघन अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से स्थित दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	स्थापित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना	मु० 529.13629 लाख
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण के संक्षेप प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की विशेषतः उपर्युक्त कालम -7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हूँ (संलग्न करे)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	337700 हे०
(ii)	जिला का वन क्षेत्र	121 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	15 मामलों, 120.36224 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	लागू नहीं।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	9.39 हे०
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	लागू नहीं।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	9.23 हे०
13	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन भूमि का वनेत्तर कार्यों के प्रयोग हेतु संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक : 12.01.2021

स्थान : गाजीपुर

हस्ताक्षर **राजीव निदेशक**
सरकारी मोहर **वानिकी प्रभाग**
गाजीपुर